राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ जयपुर
(Phone : 0141-2227481,2227555, FAX: 2227602, Help line No.15100)
[E-mail: rj-slsa@nic.in, G-mail: rslsajp@gmail.com, website: www.rlsa.gov.in]

क्रमांकः– F-3/RSLSA/DS-II/ दिनांकः– 02.2018

प्रेषितिः

अध्यक्ष,
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
समस्त राजस्थान।

विषयः– किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत् पीड़ित बच्चों के प्रकरणों में समर्थन व्यक्ति (Support Person) की नियुक्ति के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

भारत सरकार द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के बालक–बालिकाओं के संरक्षण के लिए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 लागू किये गये है।

बच्चों के साथ होने वाली हिंसा/दुर्व्यवहार बच्चे के मन–मस्तिक को गम्भीर रूप से प्रभावित करते हैं। ऐसी हिंसा/दुर्व्यवहार बच्चों के जीवन में एक कटु अनुभव के रूप में साथ रहता हैं। जब पीड़ित बच्चे किसी पुलिस या न्यायिक प्रक्रिया के सम्पर्क में आते हैं, तो उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए बच्चों को अपराध के बाद होने वाली परेशानी, अवसाद एवं तनाव से निपटने तथा सामान्य होने के लिए प्रत्येक स्तर पर समुचित जानकारी एवं भावनात्मक, शारीरिक तथा व्यावहारिक सहायता उपलब्ध कराना आवश्यक हैं।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 में समर्थन व्यक्ति (Support Person) की अवधारणा दी गई है, ताकि बच्चे को सुनवाई से पहले और सुनवाई के दौरान हर स्तर पर सहायता मिल सके। समर्थन व्यक्ति द्वारा पुलिस/न्यायिक प्रक्रिया के दौरान बच्चे और एजेंसियों के बीच मध्यस्थ की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती हैं।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के नियम 54 (14) में पैरा लीगल वॉलेन्टियर एवं समर्थन व्यक्ति (Support Person) उपलब्ध कराने के संबंध में निम्न प्रावधान किये गये हैंः–

"The Legal Services Authority may provide a support person or para legal volunteer for pre-trial counseling and to accompany the child for recording of the statement who shall also familiarize the child with the Court and Court environment in advance, and where the child is found to have been disturbed by the experience of coming to the Court, orders for video-conferencing may be passed by the Court, on an application moved by the support person or para legal volunteer or by the Legal Services Authority, on behalf of the child"

समस्त राजस्थान में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के नियम 54 (14) के तहत न्यायालयों व किशोर न्याय बोर्ड में समर्थन व्यक्ति (Support Person) नियुक्त किये जाने के संबंध में निम्न दिशा–निर्देश पालना हेतु प्रेषित हैः–

1. **समर्थन व्यक्ति (Support Person) कौन हो सकता है:–**

   i) अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आवश्यकता होने पर जिले में कार्यरत पीएलवी, जो बालक–बालिकाओं के प्रति संवेदनशील हो एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 की जानकारी रखता हो समर्थन व्यक्ति (Support Person) के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

   ii) बालिका के संबंध में समर्थन व्यक्ति (Support Person) महिला ही होनी चाहिए। महिला के उपलब्ध नहीं होने पर किसी पुरूष को समर्थन व्यक्ति (Support Person) नियुक्त किया जा सकता है।

2. **किसी प्रकरण में समर्थन व्यक्ति (Support Person) की सेवाएं उपलब्ध करवाने के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रकिया:–**

   i) बच्चों के विरूद्ध अपराध के प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने उपरान्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा 24 घण्टे के भीतर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित की जायेगी।

   ii) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति प्राप्त होने के 3 दिवस में बच्चे के प्रकरण में समर्थन व्यक्ति (Support Person) की नियुक्ति की जायेगी। इसके अतिरिक्त पक्षकार के माँग किये जाने अथवा न्यायालय द्वारा इस हेतु निर्देश दिये जाने पर समर्थन व्यक्ति (Support Person) की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएगी।

   iii) प्राधिकरण द्वारा समर्थन व्यक्ति (Support Person) नियुक्त करने से पूर्व इस संबंध में बच्चे एवं उसके अभिभावक की सहमति प्राप्त की जायेगी।

   iv) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बच्चे के प्रकरण में समर्थन व्यक्ति (Support Person) की नियुक्ति की लिखित सूचना से जिला बाल संरक्षण इकाई, संबंधित पुलिस थाना, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड एवं न्यायालय जहां, बच्चे के प्रकरण की जांच/सुनवाई चल रही हैं, को अवगत कराया जायेगा।

   v) समर्थन व्यक्ति द्वारा प्रकरण के संबंध में हुई पुलिस कार्यवाही अथवा न्यायिक प्रक्रिया की पूरी जानकारी प्राप्त की जाकर प्रकरण की शुरूआत से अन्त तक अपनी सेवाएं बच्चे को उपलब्ध करायी जायेगी।

3. **समर्थन व्यक्ति (Support Person) की अयोग्यताएं तथा उन्हें हटाने की प्रकिया:–**

   जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के द्वारा उपयुक्त जाँच के पश्चात् समर्थन व्यक्ति (Support Person) को निम्न स्थितियों में हटाया जा सकता है तथा हटाने की सूचना राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को दी जाएगी:–

   i) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बच्चे या उसके अभिभावक/संरक्षक या जिस पर बच्चा विश्वास करता है, ऐसे व्यक्ति के आग्रह पर समर्थन व्यक्ति (Support Person) को हटाया जा सकता हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बच्चे या उसके अभिभावक या संरक्षक या जिस पर बच्चा विश्वास करता है, की सहमति से नया समर्थन व्यक्ति (Support Person) नियुक्त किया जा सकेगा।

   ii) समर्थन व्यक्ति (Support Person) द्वारा किसी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार या हिंसा कारित करने की स्थिति में।

   iii) समर्थन व्यक्ति (Support Person) अपनी भूमिका का निर्वहन करने में असफल रहने की स्थिति में।

   iv) समर्थन व्यक्ति (Support Person) के किसी बाल अपराध में लिप्त होने की सूचना मिलने पर या लिप्त पाये जाने की स्थिति में।

   v) पैरा लीगल वॉलियन्टर के रूप में अयोग्य ठहराये जाने पर समर्थन व्यक्ति (Support Person) के पद से भी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

   vi) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में समर्थन व्यक्ति (Support Person) हटाने की सूचना संबंधित पुलिस थाने, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड एवं न्यायालय को प्रेषित की जायेगी। संबंधित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा भी स्वयं के स्तर

पर संबंधित न्यायालय को समर्थन व्यक्ति (Support Person) के हटाये जाने से अवगत कराया जायेगा।

4. समर्थन व्यक्ति (Support Person) के कार्यः–

i) बच्चों के सर्वोतम हित को पहचानना, बच्चों के साथ संवेदनशीलता अपनाना, नैतिक एवं कानूनी रूप से बच्चों की निजता एवं गोपनीयता के अधिकारों का संरक्षण व सम्मान करना व बच्चों के सर्वोतम हित में कार्य करना।

ii) बच्चे एवं उसके परिजनो को बच्चे के प्रकरण में विभिन्न स्तर पर होने वाली कार्यवाही से अवगत कराना।

iii) प्रकरण की प्रगति एवं अद्यतनः स्थिति की सूचना बच्चे या उसके परिजनो को उपलब्ध कराना।

iv) पीड़ित बच्चे को आवश्यक परामर्श एवं प्रकरण में अपेक्षित कार्यवाही के लिए उसे तैयार करना।

v) बच्चे को संबंधित न्यायालय परिसर एवं कार्यप्रणाली से परिचित करवाना तथा न्यायलय (किशोर न्याय बोर्ड सहित) में न्यायिक कार्यवाही/विचारण के दौरान बच्चे के साथ मौजूद रहना।

vi) पुलिस द्वारा बयान लेखबद्ध करते समय या न्यायालय में बयान लेखबद्ध करते समय एवं चिकित्सा परीक्षण के दौरान बच्चे के साथ उपस्थित रहना।

vii) यदि बच्चा न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकता है या असहजता महसूस करता है, तो ऑडियों विज्यूअल/विडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से बयान/साक्ष्य दर्ज कराने हेतु न्यायलय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना।

viii) न्यायालय, पुलिस थाने एवं अन्य प्राधिकरणों में कार्यवाही/जांच के दौरान बच्चे के साथ मौजूद रहना।

ix) किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा बच्चे से अभद्रता से बातचीत करने अथवा बच्चे के साथ किसी प्रकार के दुर्व्यवहार होने की सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं सक्षम प्राधिकरण को देना।

x) बच्चे की ओर से समिति, बोर्ड एवं न्यायालय में यात्रा व्यय के पुनर्भरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करना।

xi) बच्चे की ओर से पैरवी हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान करना।

xii) पीडित बच्चे एवं उसके परिवार को राजस्थान पीडित प्रतिकर योजना, एस.टी./एस.सी. अधिनियम एवं अन्य माध्यमों से मुआवजा/प्रतिकर उपलब्ध कराने में सहयोग करना।

xiii) बच्चे को आवश्यकतानुसार काउंसलर, दुभाषियों, विशेषज्ञ, अनुवादक, विशेष शिक्षक इत्यादि की सेवाएं उपलब्ध कराने में सहयोग करना।

xiv) पीड़ित बच्चे की जरूरत एवं प्रकरण की परिस्थिति के अनुरूप बच्चे के हित में जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, पुलिस, न्यायालय एवं लोक अभियोजकों/राजकीय अधिवक्ताओं के साथ समन्वय स्थापित कर अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करना।

5. समर्थन व्यक्ति (Support Person) को भुगतानः–

i) पीएलवी द्वारा समर्थन व्यक्ति (Support Person) के रूप में कार्य किये जाने पर उन्हें इस हेतु वहीं मानदेय प्राप्त होगा जो उन्हें एक दिन के कार्य के लिए बतौर पीएलवी के रूप में दिया जाता है। मानदेय का भुगतान उनके द्वारा किये गये कार्य की लिखित रिपोर्ट पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने पर अदा किया जाएगा।

6. अनुवर्तन/संचालन/समीक्षाः–

i) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किन्हीं प्रकरणों में समर्थन व्यक्ति द्वारा प्राधिकरण के ध्यान में लाये गये बिन्दुओं पर विधिसम्मत अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

ii) सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इन दिशा–निर्देशों का प्रभावी कियान्वयन एवं नियुक्त समर्थन व्यक्तियों के कार्यों की समीक्षा एवं पर्यवेक्षण किया जायेगा।

iii) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समर्थन व्यक्तियों के क्षमतावर्धन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेगें।

अतः उपरोक्त दिशा–निर्देश पालनार्थ प्रेषित है।

'सादर'

भवदीय,

– Sd –
(एस.के.जैन)
सदस्य सचिव
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)

क्रमांकः– F-3/RSLSA/DS-II/ 39672–39777 दिनांकः– 14.02.2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित हैः–

1. नोडल अधिकारी, किशोर न्याय समिति, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर।
2. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण।
5. सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर।
7. जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।
8. प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, समस्त राजस्थान।
9. अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति, समस्त राजस्थान।

(अजय कुमार)
उप सचिव–द्वितीय
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।